Ref: SEC/SE/2019

April 1, 2019

Scrip Symbol: NSE-- DABUR, BSE Scrip Code: 500096

To,
Corporate Relation Department
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai- 400001

National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1, G Block Bandra – Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai – 400051

Sub: Publication of Notices for Board Meeting

Dear Sirs,

In compliance of provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are pleased to enclose copies each of the Financial Express (English Daily) and Jansatta (Hindi Daily) both dated 30th March, 2019 in which notices for intimation of Board Meeting scheduled for 02.05.2019 to consider audited standalone and consolidated financial results for the quarter/year ended on 31.03.2019 and recommendation of final dividend,if any, for the financial year 2018-19 has been published.

Submitted for your information and records pl.

Thanking you,
Yours faithfully,
for DABUR INDIA LIMITED

(A K JAIN)
E.V.P (Finance) & Company Secretary

SECOND ROUND OF CORRIDOR TALKS WAS SLATED FOR APRIL 2

Pro-Khalistan faces in Pak panel, India postpones Kartarpur talks

On Pakistan's 10-member panel, man who demanded Sikh referendum last year

RAHUL TRIPATHI & SHUBHAJIT ROY
NEW DELHI, MARCH 29

HOURS AFTER INDIA summoned Pakistan's Deputy High Commissioner Syed Haider Shah and conveyed its concerns over the presence of pro-Khalistan elements in a committee set up by Pakistan on the Kartarpur Corridor, New Delhi on Friday postponed the second round of talks with Islamabad scheduled for April 2. It said the next meeting can be scheduled at an "appropriate time" after receiving Pakistan's response on Delhi's proposals.

The move came a day after Pakistan responded to Delhi's dossier on Jaish-e Mohammed's involvement in the Pulwama terrorist attack on February 14 by claiming that it had examined the 22 "pin locations" shared by India but found no terror camps.

South Block, which had expressed disappointment at this response, decided to put off the Kartarpur talks by citing divergences in their proposals on the corridor and the presence of pro-Khalistan elements in the panel.



Levelling work near Gurdwara Kartarpur Sahib in Pakistan RAVINDER SINGH ROBIN

Sources said the induction of Gopal Singh Chawla on the 10-member committee of the Pakistan Sikh Gurdwara Parbhandhak Committee (PSGPC), which will "help facilitate" the visit of Indians pilgrims to the Kartarpur Sahib gurdwara, has got Delhi seething. Chawla had played a key role in raising pro-Khalistan slogans and putting up posters on a Sikh referendum in November last year during the visit of pilgrims.

Pakistan's Information Minister Fawad Chaudhry had announced Chawla's inclusion, along with at least three other pro-Khalistan elements, Tara Singh, Bishon Singh and Kuljeet Singh. The committee was set up three days ago by the Cabinet led by Pakistan Prime Minister Imran Khan.

The move came a day after Pakistan responded to Delhi's dossier on JeM involvement in the Pulwama attack on February 14 by claiming that it had examined the 22 "pin locations" shared by India but found no terror camps.

"These developments have raised fresh concerns in India about the safety and security of pilgrims from India and misuse of the corridor for anti-India activities. India has made amply clear in the meeting and draft agreement that Kartarpur Sahib Corridor shall not be misused for any anti-India propaganda and activities.

"India has been strongly emphasising on the need for foolproof security of pilgrims on Pakistan soil and demanding commitment from Pakistan to insulate them from any anti-India propaganda or activity during their visit to Gurdwara Kartarpur Sahib," sources said.

"India has sought clarifications on reports that controversial elements have been appointed by Pakistan to a committee to be associated with the Kartarpur corridor," sources said.

A Home ministry official said, "There cannot be any let-up on national security and we have made that clear. We hope and expect that Pakistan will address the issue at the earliest." Pakistan's foreign ministry spokesperson Mohammed Faisal called the last-minute postponement of the meeting "incomprehensible". "Last minute postponement without seeking views from Pakistan and especially after the productive technical meeting on March 19 is incomprehensible," Faisal tweeted.

The Indian Express had first reported that key differences on major aspects — from who should be allowed access to when and how — had emerged between India and Pakistan over the Kartarpur corridor as officials from both sides met for the first time in Attari on March 14.

Sources said the MEA also asked Shah to explain his country's stand on key proposals put forward by New Delhi at the last meeting in Attari on March 14 to discuss the modalities of the corridor.

Pak F-16 shot down, but Oppn kept asking about Abhinandan return: PM

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, MARCH 29

STEPPING UP HIS attack on the Opposition in the run-up to the Lok Sabha polls, Prime Minister Narendra Modi, referring to the Pakistani retaliation and the capture of Wing Commander Abhinandan a day after the Balakot air strike, has said that instead of praising the Indian forces for "shooting down" a Pakistani F-16 intruder, the Opposition kept saying "when will Abhinandan return, when will Abhinandan return".

In an interview to Republic TV telecast Friday, Modi targeted the Opposition and their supporters, saying "they did not have respect for our brave martyrs", that some people "who survive on Congress bread" found "statesmanship in the Pakistan Prime Minister's statement" while doubting their own Prime Minister.

"You would know, when the Abhinandan incident happened, all Indian political parties should have united and said that we are proud of the Indian forces, that an F-16 was shot down. Instead, within two hours, they went on saying 'when will Abhinandan return, when will Abhinandan return," he said.

"OK, he was caught. The government will do what it has to do at the diplomatic level. But they (Opposition) had planned a candle light march over Abhinandan, Pulwama and the airstrike... Of course, there was planning. They were going to hold a candle light march for Abhinandan. But around 3-4 pm, the Pakistan Prime Minister announced in Parliament (about the decision to release the IAF pilot). And their politics was held up. They have tried to do politics at every moment on such a grave issue... such language does not suit them."



PM Narendra Modi at a public meeting in Odisha's Koraput district PTI

Underlining he had taken a number of initiatives to bring peace in the subcontinent, Modi, responding to Pakistan Prime Minister Imran Khan's call for talks, said Islamabad should leave terrorism for that: "Pakistan can do what it wants for its people. That's fine. That's their local problem. They can continue doing it. India has just one demand: leave terrorism, leave terrorism. After this, if you don't even look at us, we will have no problem. But come out of terrorism."

इलाहाबाद बैंक ALLAHABAD BANK
विश्वास की परंपरा A tradition of trust

Head Office: 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700001

DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY, HEAD OFFICE

Tender Notice

RFP Ref. No. HO/DIT/CRMON/EWS/2019-20/128 Dated 30.03.2019

Allahabad Bank invites sealed technical bids from eligible bidders for **"Request for Proposal for Procurement & End-to-end implementation and maintenance of Early Warning Signals (EWS) Solution for Credit Monitoring in Allahabad Bank"**

For details please visit Bank's official website: **www.allahabadbank.in** & e-tender website **www.tenderwizard.com/abbank.**

For addendum/(s) to RFP, published subsequently, if any, please refer to the above mentioned websites.

Chief Manager (IT)

SBI

Stressed Assets Resolution Group (SARG), Corporate Centre, 2nd Floor, The Arcade, World Trade Centre, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005.

APPLICATIONS FOR EMPANELMENT OF ADVOCATES/LAW FIRMS

Applications are invited from eligible Advocates/Law Firms for empanelment with State Bank of India for handling high value matters under the Insolvency & Bankruptcy Code, 2016 before NCLT/NCLAT across the country. The empanelment process is open from 30th March 2019 till 20th April 2019. For details on eligibility, proforma etc. please visit our website **https://sbi.co.in** under "**Procurement News**>>Empanelment of Vendors".

Place: Mumbai
Date: 30.03.2019

Sd/-
Deputy General Manager (NCLT)

DABUR INDIA LIMITED

CIN - L24230DL1975PLC007908
Regd. Office: 8/3, Asaf Ali Road, New Delhi - 110 002
Tel. No. - 011-23253488, Fax No. - 011-23222051
Website - www.dabur.com; e-mail: investors@mail.dabur

NOTICE

In compliance of Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 this is to inform that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, the 2nd May, 2019 at New Delhi to inter-alia, consider and approve the Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter /Financial Year ending on 31st March, 2019 and to consider recommendation of final dividend, if any, for the financial year 2018-2019.

Investors may also refer to the websites: www.dabur.com, www.nseindia.com or www.bseindia.com

for Dabur India Limited
Sd/-
(A K Jain)
EVP (Finance) & Company Secretary

New Delhi
29 March, 2019

WELSPUN GROUP **Welspun Investments and Commercials Limited**
Corporate Identification Number L52100GJ2008PLC055195
Regd. Office: Welspun City, Village Versamedi, Taluka Anjar, District Kutch, Gujarat-370 110
Tel. No.: + 91 2836 661111 Fax: + 91 2836 279010
Corporate Office: Welspun House, 6th Floor, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400 013
Tel. No.: + 91 22 6613 6000 Fax: + 91 22 2490 8020
Website: www.welspuninvestments.com **Email:** companysecretary_winl@welspun.com

POSTAL BALLOT NOTICE

Notice is hereby given under Section 110 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 & 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and other applicable laws and Regulations (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) to the members of **WELSPUN INVESTMENTS AND COMMERCIALS LIMITED** (the "Company") that the Company is seeking approval/consent of its members by Postal Ballot (which includes electronic voting) for matters as set out in the Postal Ballot Notice dated March 14, 2019:

a. The Company has completed the dispatch of Notice of Postal Ballot along with explanatory statement and Postal Ballot Form as on March 29, 2019;
b. Voting will commence at 9.00 a.m. on March 31, 2019;
c. E-Voting will end at 5.00 p.m. on April 29, 2019 and e-Voting will not be allowed beyond the said date and time;
d. Postal Ballot Forms should reach the scrutinizer by not later than 5.00 p.m. on April 29, 2019 and any Postal Ballot received from the members beyond the said date and time will not be valid and voting by post ballot shall not be allowed beyond the said date and time;
e. Members, who have not received the said Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form may also send request for a duplicate Postal Ballot Form;
f. The Company is also providing facility for voting through electronic mode (e-Voting) through National Securities Depository Limited ("NSDL") e-Voting platform. The procedure of e-Voting is given in the Notes to the Notice of Postal Ballot. In case of any query or greivanceregarding e-Voting you may also refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com, under help section or write an email to evoting@nsdl.com.in or call 1800-222-990.
g. The Notice of the Postal Ballot along with the explanatory statement and other annexures is also displayed on the website of the company at http://www.welspuninvestments.com/userfiles/file/Notice%20of%20Postal%20Ballot.pdf on the website of NSDLhttps://www.evoting.nsdl.com and on BSE Limited website on https://www.bseindia.com/ and on National Stock Exchange of India Limited website on https://www.nseindia.com/

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Sanjay Risbud, Practicing Company Secretary, Mumbai as Scrutinizer for conducting the entire Postal Ballot process in a fair and transparent manner.

The Company has sent the Notice of Postal Ballot to all the members whose names appear in the Register of Members including names of Beneficial Owners as received from National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as on March 22, 2019. Such Members may exercise their voting electronically as per the procedure given in the notes to the Notice of Postal Ballot. In case a Member does not wish to avail the e-voting facility organized through NSDL, such Members may send a request for obtaining the said Notice and physical Postal Ballot Form from Company by sending a request to the Company at the corporate office address or through e-mail sent at companysecretary_winl@welspun.com. On receipt of such request, the Registrar and Share Transfer Agent/the Company will dispatch the physical Postal Ballot Form to the Member.

For **Welspun Investments and Commercials Limited**
Sd/-
Amol Nandedkar
Company Secretary
ACS - 23661

Place : Mumbai
Date : March 29, 2019

JM FINANCIAL MUTUAL FUND JM FINANCIAL

NOTICE-CUM-ADDENDUM

NOTICE-CUM-ADDENDUM TO THE STATEMENT OF ADDITIONAL INFORMATION (SAI), SCHEME INFORMATION DOCUMENT (SID) & KEY INFORMATION MEMORANDUM (KIM) OF THE SCHEMES OF JM FINANCIAL MUTUAL FUND.

a) **Change in Total Expense Ratio(TER) w.e.f. April 01, 2019 (Applicable to all Schemes of the Mutual Fund):**

Notice is hereby given that pursuant to the SEBI (Mutual Funds)(Fourth Amendment) Regulations, 2018 dated December 13, 2018, the TER of the Schemes excluding issue or redemption expenses, whether initially borne by the Mutual Fund or by the AMC, but including the investment management and advisory fee shall not exceed the following limits:

Name Of the Scheme	TER Limits
Equity Oriented Open Ended Schemes a) JM Arbitrage Fund b) JM Value Fund c) JM Multicap Fund d) JM Core 11 Fund e) JM Large Cap Fund f) JM Tax Gain Fund g) JM Equity Hybrid Fund	i. 2.25% on the first Rs.500 crores of the daily net assets. ii. 2.00% on the next Rs.250 crores of the daily net assets. iii. 1.75% on the next Rs.1,250 crores of the daily net assets. iv. 1.60% on the next Rs.3,000 crores of the daily net assets. v. 1.50% on the next Rs.5,000 crores of the daily net assets. vi. Total expense ratio reduction of 0.05% for every increase of Rs.5,000 crores of daily net assets or part thereof, on the next Rs.40,000 crores of the daily net assets. vii. 1.05% on balance of the assets.
Debt Oriented Open Ended Schemes a) JM Dynamic Fund b) JM Income Fund c) JM Ultra Short Duration Fund d) JM Money Market Fund e) JM Low Duration Fund f) JM Short Term Fund g) JM Liquid Fund h) JM GSEC Fund	i. 2.00% on the first Rs.500 crores of the daily net assets. ii. 1.75% on the next Rs.250 crores of the daily net assets. iii. 1.50% on the next Rs.1,250 crores of the daily net assets. iv. 1.35% on the next Rs.3,000 crores of the daily net assets. v. 1.25% on the next Rs.5,000 crores of the daily net assets. vi. Total expense ratio reduction of 0.05% for every increase of Rs.5,000 crores of daily net assets or part thereof, on the next Rs.40,000 crores of the daily net assets vii. 0.80% on balance of the assets.

b) **Facilitating transactions for NRIs in the schemes of the fund through Stock Exchange Mechanism:**

JM Financial Asset Management Limited (AMC), vide its addendum no.26/2013-14 dated March 07, 2014 and addendum no. 14/2015/16 dated January 29, 2016 had informed investors about the subscription/ redemption / switch / SIP / STP / SWP of units of open ended schemes of JM Financial Mutual Fund being made available through BSE Stock Exchange Platform (BSE StAR MF) for the resident investor.

It has now been decided to make this facility available for investment by NRIs, subject to submission of Foreign Inward Remittance Certificate (FIRC) to the intermediaries/ Market participants involved in the transactions(s) for onward transmission to the Registrar M/s Karvy Fintech Pvt. Ltd / JM Financial Mutual Fund through BSE StAR MF platform (BSE StAR MF). However, this facility is not available to Non Resident Indians/ Persons of Indian origin / Overseas Citizen of India from USA, Canada and other Persons / entities / foreign citizens etc. mentioned in the Scheme Information Document (SID) under "Who cannot invest" in "UNITS and OFFER".

1. The Exchange shall act as the Point of Acceptance only for the purpose of time – stamping of the transaction and reporting thereof but not for collection of funds from the investor and transfer to the AMC.
2. The Mutual Fund Distributors / Members are permitted to handle the transactions of only their clients, through the above platform.
3. The facility of transacting in the Fund's schemes through BSE StAR MF Platform is available through the BSE, subject to such operating guidelines, terms and conditions as may be prescribed by BSE/ SEBI and JMF AMC from time to time.

This addendum shall form an integral part of the SAI, SID and KIM of all the open-ended schemes of the Fund.

All other terms and conditions of the SAI, SID and KIM of all the open-ended schemes of the Fund remain unchanged.

Authorised Signatory
Place : Mumbai
Date : March 29, 2019
JM Financial Asset Management Limited
(Investment Manager to JM Financial Mutual Fund)

For further details, please contact :
JM Financial Asset Management Limited
(Formerly known as JM Financial Asset Management Private Ltd.),
Registered Office: 7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400025.
Corporate Office: Office B, 8th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai-400025.
Corporate Identity Number: U65991MH1994PLC078879. • Tel. No.: (022) 6198 7777
• Fax No.: (022) 6198 7704. • E-mail: investor@jmfl.com • Website : www.jmfinancialmf.com

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

REF No. 35/2018-19

Gujarat HC rejects Hardik plea, his Lok Sabha election hopes fade

SOHINI GHOSH
AHMEDABAD, MARCH 29

PATIDAR LEADER HARDIK Patel's hopes of contesting the Lok Sabha election on a Congress ticket receded Friday when the Gujarat High Court rejected his petition seeking a stay on his July 2018 conviction for rioting and arson.

Hardik, who joined the Congress on March 12, is likely to move the Supreme Court but he is running out of time because April 4 is the last date for filing nominations in Gujarat which votes on April 23.

Hardik's lawyer Salim Saiyed said: "We will file a petition seeking a stay on Hardik's conviction in the Supreme Court on Monday. Although it takes up to eight to ten days on an average to get a petition listed for hearing, we will be expressing our urgency to the court."

Rejecting Hardik's petition seeking a stay on the conviction awarded to him by a sessions court, Justice A G Uraizee took into account the arguments made earlier by Advocate General Kamal Trivedi, who appeared for the Gujarat government, and cited 17 FIRs against Hardik and his "criminal antecedents".



Hardik joined Congress earlier this month

The High Court also took note of "pending cases at different stages in various courts".

A sessions court in Visnagar in Mehsana district had sentenced Hardik to two years in prison for rioting and arson in Visnagar town in 2015 during the Patidar quota agitation. In August last year, he was granted bail by the High Court but it did not stay his conviction.

Under the Representation of the People Act, 1951 and a related Supreme Court ruling, a convicted person cannot stand for election unless the conviction is stayed.

After the HC rejected his plea, Hardik tweeted: "We are not amongst the ones to run away in fear. Will continue to raise the voice of the masses with truth, non-violence and honesty. Congress party that serves the masses will form the government. I will campaign for Congress not only in Gujarat, but across the country. My only mistake has been that I did not bow down to BJP. This is the result of fighting the ones in power."

PM has no time for poor, govt's focus on publicity: Priyanka

AVANEESH MISHRA
AYODHYA, MARCH 29

PRIYANKA VADRA, THE new Congress general secretary, launched a scathing attack against Prime Minister Narendra Modi in Ayodhya Friday, accusing him of ignoring the poor and his government of focussing only on publicity.

Addressing a gathering during a road show, Priyanka said: "I went to Varanasi, which is the constituency of the PM. There I asked people if the Prime Minister goes to villages and they said he does not... There is a Prime Minister who did not go to a single poor family, a single village in his own constituency. There is a government which has rejected the people and only does big advertisements."

Asking the voters to "be aware", she said: "You have seen a lot of elections, have heard a lot of advertisements. And the speeches you would have listened to in the last five years, mainly on TV, that is unprecedented.. I do not like speeches and I talk from my heart wherever I go." Attacking the government's economic policies, and referring to the Congress promise of ensuring basic minimum income for the poor, Priyanka referred to a popular 2014 campaign line of the PM. "They said they will give ₹15 lakh in your accounts. Now when the election is there, they started depositing ₹2,000. Congress in its manifesto has announced a scheme under which every family should have a minimum income of ₹6,000 per month," she said.



Priyanka Vadra in Ayodhya on Friday, the last day of her three-day campaign in UP VISHAL SRIVASTAV

"When the Congress made the announcement, the central government, the Prime Minister and the BJP said this is just because of elections and the country does not have money for it. You tell me, if the country does not have money for this scheme then how did Prime Minister get the money, ₹3,17,000 crore, for his scheme under which he waived the loans of industrialists," she said.

Priyanka also attacked the BJP for not focussing on farmers' issues and rural distress. "They said they would bring several big schemes for farmers. Ask the farmers what is their condition. You get ₹1,600 for paddy. There is a Congress government in Chhattisgarh and they are getting ₹2,500 per quintal... I went through the fields and saw barricades everywhere. When asked, they said they are so frustrated due to stray animals. Women do chowkidari in daytime and men at night. The government is busy making T-shirts of 'main bhi chowkidar'," she said, referring to the BJP's poll slogan. Priyanka said: "The announcements they make of 56-inch chest and of so much strength and power... show them what is the real power. Tell them that political power is not the power of advertisement. Political power is about listening to the people. The one who listens to the people is the real Shaktimaan."

During her visit, the Congress leader also held several "nukkad sabhas", and is expected to visit Ayodhya's famous Hanuman Garhi temple.

अप्रैल-जून तिमाही के लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बदलाव नहीं

नई दिल्ली, 29 मार्च (भाषा)।

सरकार ने अप्रैल-जून तिमाही के लिए राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) और भविष्य निधि कोष (पीपीएफ) सहित लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है।

वित्त मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार तिमाही के दौरान पीपीएफ और एनएससी पर आठ फीसद का ब्याज मिलेगा। वहीं किसान विकास पत्र (केवीपी) पर 7.7 फीसद का ब्याज मिलेगा और यह 112 माह में परिपक्व होगा। लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को तिमाही आधार पर अधिसूचित किया जाता है। अधिसूचना में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों को 2018-19 की चौथी तिमाही के बराबर यानी यथावत रखा गया है।

सोना 395 रुपए टूटा, चांदी 590 रुपए कमजोर

नई दिल्ली, 29 मार्च (भाषा)।

कमजोर घरेलू मांग के बाद दिल्ली सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोना 395 रुपए की गिरावट के साथ 32,700 रुपए प्रति दस ग्राम रह गया। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी। औद्योगिक इकाइयों व सिक्का विनिर्माताओं की कमजोर मांग से चांदी भी 590 रुपए के नुकसान के साथ 38,260 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। बाजार सूत्रों के अनुसार सोने की कीमतों में गिरावट का मुख्य कारण कमजोर वैश्विक रुख के बीच सुस्त घरेलू मांग का होना था।

अंतरराष्ट्रीय बाजार, न्यूयार्क में सोने का भाव 1,287.70 डॉलर प्रति औंस व चांदी का भाव 15.01 डॉलर प्रति ट्राय औंस रह गया। स्थानीय सर्राफा बाजार में 99.9 फीसद व 99.5 फीसद शुद्धता के सोने का दाम 395-395 रुपए की गिरावट के साथ 32,700 रुपए और 32,530 रुपए प्रति दस ग्राम पर आ गए। गुरुवार को सोना 35 रुपए की तेजी दर्शाता 33,095 रुपए हो गया था। हालांकि, गिन्नी का भाव 26,400 रुपए प्रति आठ ग्राम पर पूर्ववत रहा। चांदी हाजिर के भाव भी 590 रुपए की हानि के साथ 38,260 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुए, जबकि साप्ताहिक डिलिवरी की कीमत 713 रुपए गिरकर 37,289 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। हालांकि, चांदी सिक्का लिवाल 80,000 रुपए और बिकवाल 81,000 रुपए प्रति सैकड़ा पर यथावत रहा।

सूचकांक 127 अंक और चढ़ा, निफ्टी 11,600 अंक के पार

मुंबई, 29 मार्च (भाषा)।

शेयर बाजारों में शुक्रवार को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में तेजी का सिलसिला कायम रहा। वाहन और धातु कंपनियों के शेयरों में जोरदार लिवाली व विदेशी कोषों के प्रवाह और सकारात्मक वैश्विक रुख के बीच बंबई शेयर बाजार का सूचकांक 127 अंक चढ़ गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11,600 अंक को पार कर गया।

बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सूचकांक मजबूती के रुख के साथ 38,675 अंक पर खुलने के बाद 38,748.54 अंक के उच्च स्तर तक गया। अंत में सूचकांक 127.19 अंक या 0.33 फीसद की बढ़त के साथ 38,672.91 अंक पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 53.90 अंक या 0.47 फीसद की बढ़त के साथ 11,623.90 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 11,630.35 से 11,570.15 अंक के दायरे में रहा। साप्ताहिक आधार पर सूचकांक 1.33 फीसद या 508 अंक और निफ्टी 1.45 फीसद या 167 अंक लाभ में रहा।

विश्लेषकों ने कहा कि विदेशी कोषों के प्रवाह, रुपए की मजबूती और अमेरिका चीन व्यापार वार्ता को लेकर सकारात्मक नतीजों की उम्मीद के बीच निवेशकों की धारणा को बल मिला। सूचकांक की कंपनियों में वेदांता 3.20 फीसद चढ़ गई। टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, ओएनजीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, एसबीआइ, एचडीएफसी बैंक, एचसीएल टेक, कोल इंडिया, सनफार्मा, इनफोसिस, रिलायंस और भारती एयरटेल 2.69 फीसद तक की बढ़त में रहीं। वहीं दूसरी ओर इंडसइंड बैंक का शेयर सबसे अधिक 2.08 फीसद नीचे आया। आइटीसी, बजाज आटो, आइसीआइसीआइ बैंक, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स, पावरग्रिड, एनटीपीसी, कोटक बैंक और एलएंडटी के शेयर 1.10 फीसद तक नीचे आ गए।

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि अमेरिका चीन व्यापार वार्ता को लेकर कुछ सकारात्मक नतीजे आने की उम्मीद से बाजार की धारणा मजबूत हुई। उन्होंने कहा कि निवेशकों की निगाहें अब आम चुनाव पर हैं। अंतर बैंक विदेशी विनिमय बाजार में दिन में कारोबार के दौरान रुपया 13 पैसे की बढ़त के साथ 69.17 रुपए प्रति डॉलर पर चल रहा था। इस बीच, शेयर बाजारों के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 3,594.51 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2,080.22 करोड़ रुपए के शेयर बेचे।

अन्य एशियाई बाजारों में हांगकांग का हैंगसेंग 0.96 फीसद चढ़ गया। चीन के शंघाई कम्पोजिट में 3.20 फीसद, दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.59 फीसद और जापान का निक्की 0.82 फीसद लाभ रहा। शुरुआती कारोबार में यूरोपीय बाजार लाभ में चल रहे थे।

प्राकृतिक गैस की कीमतें दस फीसद बढ़ेंगी

नई दिल्ली, 29 मार्च (भाषा)।

प्राकृतिक गैस की कीमतें एक अप्रैल से 10 फीसद बढ़ जाएंगी, जो तीन साल का उच्चतम स्तर होगा। इससे सीएनजी और पाइप वाली रसोई गैस (पीएनजी) महंगी हो जाएगी व यूरिया उत्पादन की लागत भी बढ़ जाएगी।

सूत्रों ने कहा कि अप्रैल से सितंबर की अवधि के लिए घरेलू स्तर पर उत्पादित प्राकृतिक गैस की कीमत बढ़कर 3.69 डॉलर प्रति इकाई (एमएमबीटीयू) हो जाएगी, जो इससे पहले के छह महीने के दौरान 3.36 डॉलर थी। इसी तरह मुश्किल क्षेत्रों से उत्पादित प्राकृतिक गैस की कीमत अभी के 7.67 डॉलर से बढ़कर एक अप्रैल से 9.32 डॉलर हो जाएगी।

चालू खाते का घाटा जीडीपी के 2.5 फीसद पर

मुंबई, 29 मार्च (भाषा)।

देश के चालू खाते का घाटा (कैड) 2018-19 की तीसरी तिमाही में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2.5 फीसद पर पहुंच गया है। एक साल पहले समान तिमाही में यह 2.1 फीसद था। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मुख्य रूप से ऊंचे व्यापार घाटे की वजह से कैड बढ़ा है।

मूल्य के हिसाब से अक्तूबर-दिसंबर की तिमाही में कैड 16.9 अरब डॉलर रहा, जो एक साल पहले समान अवधि में 13.7 अरब डॉलर था। हालांकि, इससे पिछली तिमाही (जुलाई-सितंबर) के दौरान कैड घटकर जीडीपी का 2.9 फीसद या 19.1 अरब डॉलर रहा था।



कोलकाता में शुक्रवार को फलों के थोक बाजार में बैठा अनानास व्यापारी।

अपंजीकृत हुई तीन लाख कंपनियों की जांच करे आयकर विभाग : सीबीडीटी

नई दिल्ली, 29 मार्च (भाषा)।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिकारियों को उन तीन कंपनियों के वित्तीय लेनदेन की जांच का निर्देश दिए हैं, जिनका पंजीकरण सरकार ने रद्द कर दिया था। सरकार ने कर चोरी और धन शोधन के लिए इन कंपनियों पर कार्रवाई की थी। खासकर नोटबंदी के दौरान इनमें से कई कंपनियां संदिग्ध लेनदेन में लिप्त रही हैं। बोर्ड ने आयकर विभाग के कार्यालयों को इस विशेष काम को करने के लिए कहा है।

सीबीडीटी ने पत्राचार में कहा कि बोर्ड चाहता है कि धन शोधन गतिविधियों में इन कंपनियों के संभावित दुरुपयोग का पता लगाने के लिए आयकर कार्यालय कंपनियों के बैंक खातों से निकासी और जमा की पड़ताल करे। खासकर कंपनियों के पंजीकरण रद्द होने की प्रक्रिया के समय और उससे पहले नोटबंदी के दौरान के वित्तीय लेनदेन को खंगाला जाए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बोर्ड के पास जानकारी है कि इनमें से कई कंपनियों के कर से जुड़े अपराधों में लिप्त होने की आशंका है।

यह साबित हो जाने पर आयकर विभाग कंपनियों के खिलाफ कर चोरी और धन शोधन में लिप्त रहने के लिए कार्रवाई शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि धनशोधन के मामलों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पास भी भेजा जाएगा। सीबीडीटी ने कर अधिकारियों से कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद इन कंपनियों की जानकारी जुटाने के लिए कहा है और उसके बाद इनके आयकर रिटर्न की जांच-पड़ताल करने और बैंकों से उनके वित्तीय लेनदेन के बारे में जांच करने के लिए कहा है।

सीबीडीटी ने कहा कि अगर कंपनी या व्यक्ति के संदिग्ध लेनदेन का पता चलता है तो राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष अपील करके कंपनी की बहाली की मांग की जाएगी, ताकि आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जा सके।

इक्रा ने चीनी उत्पादन अनुमान को घटाया

मुंबई। क्रेडिट रेटिंग एजंसी इक्रा ने अपने चीनी उत्पादन लक्ष्य को देश के सबसे बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में कमी आने की वजह से वर्ष 2019 के लिए संशोधित कर कम यानी 3.07 करोड़ टन कर दिया है। पहले इसके 3.15 करोड़ टन रहने का अनुमान लगाया गया था। *(भाषा)*

डाबर इंडिया लिमिटेड

CIN - L24230DL1975PLC007908
पंजीक्रत कार्यालयः 8/3, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110 002
Tel. No. - 011-23253488, Fax No. - 011-23222051
Website - www.dabur.com; e-mail: investors@mail.dabur

डाबर

सूचना

सेबी के सूचीयन विनियमन के विनियमन 47(1)(A) के तहत एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के निदेशक मण्डल की बैठक गुरूवार, 2 मई, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई है जिसमें 31 मार्च, 2019 को समाप्त हो रहे कंपनी के तिमाही /वार्षिक अंकेक्षित स्टेन्डअलोन एवं कनसोलिडेटिड वित्तीय परिणामों के साथ - साथ वित्तीय वर्ष 2018 - 2019 हेतु लाभांश पर विचार किया जायेगा।

निवेशक हमारी वेबसाइट www.dabur.com एवं www.nseindia.com और www.bseindia.com स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट भी देख सकते हैं।

नई दिल्ली
29 मार्च, 2019

कृते डाबर इंडिया लिमिटेड
(ए.के. जैन)
कार्यकारी उपाध्यक्ष (वित्त) एवं कंपनी सचिव

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा

{भारत दिवाला तथा दिवालिया मण्डल (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत}

साई सोलर टैक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडिटरों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट ऋणधारक का नाम	साई सोलर टैक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	20/07/2011
3.	यह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कार्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	कार्पोरेट पहचान संख्या, कार्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटि पहचान संख्या	U40106DL2011PTC222591
5.	कार्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	429, आर पी एस, डी.डी.ए फ्लैट, मानसरोवर पार्क, शहादरा, दिल्ली-110032 भारत, दिल्ली, पूर्वी दिल्ली-110032
6.	कार्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरम्भ होने की तिथि	27-03-2018 (माननीय एनसीएलटी दिल्ली बैंच C.P. IB-1608/ND/2018 द्वारा 27.03.2018 को आदेश पारित
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन के अनुमानित तिथि	23.09.2019
8.	इन्साल्वेन्सी प्रोफिशनल का नाम, पंजीकरण संख्या के अंतरिम प्रस्ताव प्रोफिशनल के रूप में कार्यरत है।	राजीव बजाज IBBI/IPA-002/IP-N00276/2017-18/10834
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रोफिशनल का पता एवं ई-मेल	4/180, भू-तल, सुभाष नगर के पीछे, नई दिल्ली, दिल्ली-110027 Email:rbajajip@gmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रोफिशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त होने वाला पता तथा ई-मेल	4/180, भू-तल, सुभाष नगर के पीछे, नई दिल्ली, दिल्ली-110027 Email: cirpsai@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	10-04-2019
12.	क्रेडिटर का वर्ग यदि कोई हो धारा 21 की उप-धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रोफिशनल द्वारा सुनिश्चित किया गया	लागू नहीं
13.	किसी वर्ग में क्रेडिटर के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए पहचान किये गये इन्साल्वेन्सी प्रोफिशनल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधि प्रपत्र तथा (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है।	a) https://ibbi.gov.in/home/downloads b) लागू नही

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रिय कम्पनी विधि अधिकरण 27.03.2019 को आर्डर प्राप्त किया **साई सोलर टैक्नोलोजी लिमिटेड** का कार्पोरेट इन्साल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

एतद्द्वारा **साई सोलर टैक्नोलोजी लिमिटेड** के क्रेडिटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रोफेशनल के पास 10.04.2019 को या इससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

फाइनेन्शियल क्रेडिटर केवल इलेक्ट्रानिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते है। अन्य सभी क्रेडिटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रानिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते है।

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दण्डित किया जा सकता है।

दिनांक : 30.03.2019
स्थान : नई दिल्ली

राजीव बजाज
अंतरिम प्रस्ताव प्रोफेशनल साई सोलर टैक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड
IBBI/IPA-002/IP-N00276/2017-18/10834

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF [CELESTIAL ESTATE PRIVATE LIMITED]

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of corporate debtor	**CELESTIAL ESTATE PRIVATE LIMITED (FOR EARTH ICONIC PROJECT IN SECTOR 71 GURGAON)**
2.	Date of incorporation of corporate debtor	18th June 2007
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies under Companies Act 1956
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U45400DL2007PTC164871
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	26, First Floor, Pusa Road Opp. Karol Bagh Metro Station, New Delhi 1100045 Delhi
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	11th March 2019 is the date of commencement of insolvency under the IBC. Claims to be submitted as at 11th March 2019
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	7th September 2019 - 180 days from the date of the order dated 11th March 2019 passed by the Hon'ble NCLT Delhi Bench
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	**Name: Vivek Parti** Registration Number: IBBI/IPA-001/IP-P00813/2017-2018/11376
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	**Vivek Parti** A-166, 2nd Floor, Defence Colony, New Delhi 110024 Delhi **Registration Number:**IBBI/IPA-001/IP-P00813/2017-2018/11376 **Email:** v_parti@yahoo.com
10.	Address & e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	**A-166, 2nd Floor, Defence Colony, New Delhi 110024 Delhi Email: irpcepl@celestialestate.in**
11.	Last date for submission of claims	10th April 2019
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Name the class(es)
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorized Representative of creditors in a class (Three names for each class)	1. 2. 3.
14.	(a) Relevant Forms The submission of claims with proof is to be made in accordance with Chapter IV of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Regulation Process for Corporate Persons) Regulations, 2016. The proof of claims is to be submitted by way of the following specified forms: Form B - for claims by operational creditors Form C - for claims by financial creditors other than home buyers and fixed deposit holders Form CA - for claims by home buyers and fixed deposit holders Form D - for claims by workmen and employees In order to get a copy of the form, you may download the above mentioned forms from the website www.ibbi.gov.in and Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Regulation Process for Corporate Persons) Regulations, 2016. (b) Details of authorized representatives are available at:	

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the CELESTIAL ESTATE PRIVATE LIMITED on 11th March 2019.

The creditors of CELESTIAL ESTATE PRIVATE LIMITED, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 10th April 2019 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorised representative of the class [Home Buyers] in Form CA. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Place: New Delhi
Date: 27th March 2019

Sd/-
Vivek Parti
Interim Resolution Professional

फार्म नं. आईएनसी-26

{कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में}
केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले
और
सुआराभक्ति गुड्स प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U51909DL2004PTC125434)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : **20, अंसारी रोड़, दरिया गंज, नई दिल्ली-110009** में है, के मामले में
....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्त्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु **25 मार्च, 2019** को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"महाराष्ट्र राज्य"** में बदलने हेतु पारित किया गया। यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/ विपक्ष के आधार हों, एमसीए-21 पोर्टल **(www.mca.gov.in)** पर निवेशक शिकायत फार्म दर्ज करें या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली -110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय में **20, अंसारी रोड़, दरिया गंज, नई दिल्ली-110009** पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।

कृते **सुआराभक्ति गुड्स प्राइवेट लिमिटेड**
श्रवण कमेश्वरलाल गुप्ता
(निदेशक)
दिनांकः 29 मार्च, 2019
स्थानः नई दिल्ली
डीआईएन.: 00562910

फार्म नं. आईएनसी-26

{कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में}
केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले
और
अयान प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U45206DL2011PTC224979)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : **308, हेमकुट चैम्बर्स 89, नेहरू पैलेस, नई दिल्ली-110019** में है, के मामले में
....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्त्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु **19 मार्च, 2019** को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में बदलने हेतु पारित किया गया। यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित/ विपक्ष के आधार हों, एमसीए-21 पोर्टल **(www.mca.gov.in)** पर निवेशक शिकायत फार्म दर्ज करें या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली -110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय में **308, हेमकुट चैम्बर्स 89, नेहरू पैलेस, नई दिल्ली-110019** पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।

कृते **अयान प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड**
सतीश चंद अग्रवाल
(निदेशक)
दिनांकः 29 मार्च, 2019
स्थानः नई दिल्ली
डीआईएन.: 06714209

टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड

TATA

पंजी. कार्यालयः 11वां तल, टावर ए 1101, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 (भारत) शाखा का पताः टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि., 7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये बिक्री सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत)

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

ऋण खाता सं. 3369134 (मै. अल्ट्रा टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लि.)

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक/सह-ऋणधारक को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (प्रतिभूत क्रेडीटर) के पास गिरवी नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (प्रतिभूत क्रेडीटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक कब्जा कर लिया गया है, की मै. अल्ट्रा टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड द्वारा उसके निदेशक श्री सैफी मोबिन, सी-16/ए, कालकाजी, भूतल, नई दिल्ली-110019, श्री सैफी मोबिन, मकान सं. बी-150, जाकिर बाग, कृष्ण पाल सिंह के मकान सं. 627 सामने, सेक्टर-16ए, फरीदाबाद, हरियाणा-121002 से 15 मई, 2018 को रु. 7560384/- (रुपये पचहत्तर लाख साठ हजार तीन सौ चौड़ासी मात्र) की कुल राशि की वसूली के लिये "जैसा है जहां है" एवं "जो भी वहां है" आधार पर 16 अप्रैल, 2019 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि का विवरण नीचे वर्णित है।

जैसा कि प्रतिभूत परिसम्पत्ति की यह बिक्री प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए की जाएगी तथा जैसा कि 15 मई 2018 को सभी लागतों, ब्याज आदि के साथ रु. 75,60,384/- (रुपये पचहत्तर लाख साठ हजार तीन सौ चौड़ासी मात्र) की राशि बकाया है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के स्थगन/ रोकने की अनुपस्थित में उक्त सम्पत्ति की 7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, ब्लॉक-ई, झण्डेवालान एक्स्टें., नई दिल्ली-110055 में 16 अप्रैल, 2019 को 2.00 बजे अप. में ई-नीलामी द्वारा बिक्री की जाएगी। सम्पत्ति की खरीद के लिए ईएमडी के डिमांड ड्राफ्ट के साथ मुहरबंद निविदा टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मुहरबंद ई-नीलामी 15 अप्रैल 2019 के 5.00 बजे अप. तक प्राप्त की जाएगी। सम्पत्ति की बिक्री जैसा है जहां है शर्त तथा उक्त सम्पत्ति से जुड़ी देयताओं तथा दावे, अनुसूची में वर्णित रूप में जिस समय तक वे सुनिश्चित हैं, के साथ की जाएगी।

प्रतिभूत सम्पत्ति का विवरण	कब्जा का प्रकार रचनात्मक/भौतिक	आरक्षित मूल्य रु. / धरोहर राशि रु.
"द बिजनेस टावर", 13/6, मैन मथुरा रोड, सेक्टर-32, फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित यूनिट नं. एसएफ 6ए, दूसरा तल, माप 2089 वर्ग फीट सुपर एरिया।	रचनात्मक	रु. 63,00,000/- / रु. 6,30,000/-

बिक्री के लिए रखी गई सम्पत्ति का विवरण अनुसूची में है। यदि प्राधिकृत अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाये, ब्याज लागत (बिक्री लागत आदि) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो यह बिक्री रोक दी जाएगी। बिक्री में आम जनता को व्यक्तिगत रूप से निविदा जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसे किसी भी अधिकारी या व्यक्ति जिन्हें इस बिक्री के सिलसिले में किसी भी प्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करना हो, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति में कोई हित अर्जित या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेंगे। यदि बिक्री की तिथि से पूर्व टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. को देय राशि का ऋणधारक पूरी तरह से भुगतान कर देते हैं तो यह बिक्री रोक दी जायेगी। यह बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों तथा अधोलिखित शर्तों के अधीन होगीः ई-नीलामी बिक्री प्रति 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 16 अप्रैल 2019 को 2.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप. के बीच पोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net या Auctiontiger Mobile App (Android) के माध्यम से आयोजित की जायेगी।

1. संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी गलती अथवा खामी के लिये अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से नीलामी पर प्रस्तुत किया जायेगा।
2. आरक्षित मूल्य से कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी।
3. बोली वृद्धि राशि रु. 10,000/- होगी।
4. सम्पत्ति की खरीद के लिये जमा की गई सभी निविदाओं के साथ "टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि." के पक्ष में देय दिल्ली में भुगतान योग्य डिमांड ड्राफ्ट द्वारा धरोहर राशि संलग्न की जायेगी। असफल बोलीदाता का डिमांड ड्राफ्ट वापस लौटा दिया जायेगा।
5. उच्चतम बोलीदाता को किसी लॉट का क्रेता घोषित किया जायेगा व शर्ते वे कानूनी रूप से बोली करने के लिये योग्य हों तथा उनके द्वारा जमा राशि आरक्षित मूल्स से कम नहीं हो। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को अस्वीकार कर सकते हैं।
6. दर्ज कारणों से प्राधिकृत अधिकारी को स्वेच्छा से बिक्री को स्थगित करने/रोकने का अधिकार है।
7. सम्पत्ति का निरीक्षण 2 अप्रैल, 2019 को 11 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे सायं तक किया जा सकता है।
8. क्रेता घोषित किये जाने वाले व्यक्ति को प्राधिकृत अधिकारी के पास तत्काल 25% क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा तथा उसमें विफल होने पर सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी।
9. यदि उपरोक्त रूप में आरंभिक जमा की जाती है तो शेष क्रय मूल्य का भुगतान क्रेता को सम्पत्ति की बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर, उस दिन को छोड़कर, अथवा यदि 15वाँ दिन अवकाश या रविवार होता है तो पन्द्रवें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस में प्राधिकृत अधिकारी के पास करना होगा तथा उपरोक्त अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी। जमा की गई राशि टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के लिये जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस सम्पत्ति अथवा उस राशि के किसी भाग से वंचित हो जाएंगे जिसके लिये बाद में उसकी बिक्री की जायेगी।
10. टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. को सम्पत्ति के प्रति देय अधिभारों की जानकारी का विवरण शून्य, सम्पत्ति पर रखे गये दावे अथवा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य ज्ञात विवरणोंः शून्य उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ नहीं।
11. विवरणों, सहायता, प्रक्रिया तथा ऑनलाइन ई-नीलामी पर प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाताः मै. ई-प्रॉक्योर्मेन्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अहमदाबाद, फोनः 07961200520/598/554/587/559/587/538, ईमेल आईडीः delhi@auctiontiger.net एवं support@auctiontiger.net एवं haryana@auctiontiger.net से सम्पर्क कर सकते हैं।
12. टिप्पणीः इच्छुक बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी श्री जगदीप शेहरावत, ई-मेलः jagdeep.sehrawat@TataCapital.com तथा मोबाईल नं. 8588806158 से सम्पर्क कर सकते हैं।
13. बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात् https://sarfaesi.auctiontiger.net में दी गई लिंक देखें।

स्थानः दिल्ली
तिथिः 30.3.2019

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी, टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि.

इंडियन बैंक Indian Bank

आपका अपना बैंक
Your Own Bank
अंचल कार्यालयः नोएडा
Zonal Office, Noida

शाखाः- इण्ड. रिटेल प्रोसेसिंग सैन्टर, गाजियाबाद, डी-37/2, सैक्टर-50, नोएडा- 201301, फोनः 0120 - 2502364

परिशिष्ट-IV (नियम-8(1) अचल संपत्ति का कब्जा नोटिस

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत इंडियन बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(12) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 08.11.2017 को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता श्री सुनील कुमार पुत्र श्री हरपाल, मकान नं0. 222, कुलेशरा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर- 201306 यू.पी. (उधारकर्ता) जो हमारी सैक्टर-63, शाखा नोएडा में और श्रीमती सविता पत्नि श्री सुनील कुमार (को-बोरोवर) मकान नं0. 222, कुलेशरा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर- 201306 यू.पी. मांग नोटिस में वर्णित मियादी ऋण की राशि रू. 837677/- (केवल आठ लाख सैंतीस हजार छः सौ सतहत्तर) को मांग नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर दिनांक 08.11.2017 से ब्याज सहित अदा करने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 28.03.2019 को निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से संपत्ति के मालिक (ऋणी) तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन इंडियन बैंक को देय धनराशि रू. 907073/- (केवल नौ लाख सात हजार तेहत्तर) दिनांक 24.03.2019 तक एवं उस पर ब्याज तथा अन्य खर्चों आदि के अधीन होगा।

हम सरफेसी अधिनियम की धारा-13 (8) के प्रवधानों एवं नियमों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। जोकि प्रतिभूतियों पर आपके प्रतिदान के अधिकारों को बताता है।

अचल संपत्तियों का विवरण

आवासीय सम्पत्ति जिसकी माप 41.81 स्क्वेयर मीटर (50 स्क्वेयर यार्डस), मकान नं0.222, कुलेशरा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर- 201306 (यू0पी0) की सीमा निम्नानुसार हैः- चौहद्दीः उत्तरः 15 फिट चौड़ा रोड़, दक्षिणः अन्य की सम्पत्ति, पूर्वः अन्य की सम्पत्ति, पश्चिमः स्कूल।

दिनांकः 28.03.2019
स्थानः नोएडा।

प्राधिकृत अधिकारी
(इंडियन बैंक)

DhanlaxmiBank

established 1927

10185 ए, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली- 110005

नियम 8 (6) का प्रावधान देखेंः अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी रखी गई/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका धनलक्ष्मी बैंक लि. प्रतिभूत क्रेडीटर लि. के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, की मै. नोएडा मेडिकेयर सेन्टर लिमिटेड तथा श्री नवीन चौधरी, श्रीमती अमीता चौधरी एवं मै. एनएमसी बायोफार्म प्रा.लि. (पूर्व में एनएमसी ओवरसीज लि.) से धनलक्ष्मी बैंक लि., प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये रु. 18,74,15,569.73 (रुपये अठारह करोड़ चौहत्तर लाख पन्द्रह हजार पांच सौ उन्हत्तर एवं पैसे तिहत्तर मात्र) की वसूली के लिये 24.04.2019 को "जैसा है जहां है", "जो भी वहां है" आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य रु. 110000000/- (रुपये ग्यारह करोड़ मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान रु. 11000000/- (रुपये एक करोड़ दस लाख मात्र) होगा।

विवरण के साथ संपत्ति का पता

परिसरों के भीतर प्लान्ट एवं मशीनरीज जो धनलक्ष्मी बैंक लि., प्रतिभूत क्रेडीटर के पास चार्ज्ड नहीं है, को छोड़कर मै. एनएमसी बायोफार्म प्रा.लि. के नाम में ग्राम धमोला, परगणा भवर कोठा, तहसील कलाधुंगी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड में स्थित खसरा नं.- 465/1, 466, 467/1, 468, 492/2, 496/1, 497, 498, 499, 501, 502/1, 503, 504, 505, 521/2, 522, 523, 524 एवं 500 के अंतर्गत बिल्डिंग जिसमें गार्ड रूम है (एक तल), गेस्ट रूम ब्लॉक (एक तल), मैन ब्लॉक बिल्डिंग फ्रान्ट (जीआर.+2-आरसीसी स्लैब, + 3रा तल- जीआई शेड), दूसरा तल रीअर (भूतल- आरसीसी स्लैब + प्रथम तल - जीआई शेड) की अचल संपत्ति, मापः 7.5 एकड़।

चौहद्दीः पूर्वः 20'-0" चौड़ा लिंक पिच रोड, पश्चिमः बग्गा राम की भूमि, उत्तरः शिव कुमार की भूमि, दक्षिणः हिमेक्स नैच्युरल्स प्रा. लि. फैक्ट्री।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया धनलक्ष्मी बैंक की वेबसाईट अर्थात www.dhanbank.com में दी गई लिंक देखें।

तिथिः 29.03.2019
स्थानः नई दिल्ली

धनलक्ष्मी बैंक लि.
प्राधिकृत अधिकारी